कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श विद्यालय/अ–1/21312/2018–19/

दिनांकः–13.09.19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषय :– राज्य की आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के नाम में "आदर्श/उत्कृष्ट" शब्द नहीं जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर के पत्रांक–रास्कूलशिप/जय/आदर्श एवं उत्कृष्ट/2019–20/5693 दिनांक 12.09.19 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार की आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी विस्तृत दिशा–निर्देशानुसार उक्त विद्यालयों में सहज दृष्ट्या स्थानों (आसानी से दिखाई देने वाले स्थान) पर **"राज्य सरकार की आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित/राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित "** ही लिखा जाना था। लेकिन कुछ संस्था प्रधानों द्वारा गलत रीति अपनाते हुए **विद्यालय के मुख्य द्वार के बोर्ड पर अंकित विद्यालय के नाम में/शाला दर्पण पोर्टल पर अंकित विद्यालय के नाम/विद्यालय के लेटर हैड/स्टाम्प (मोहर) इत्यादि में भी विद्यालय के नाम के साथ आदर्श/उत्कृष्ट शब्द जोड़ दिये गये है,** जो कि उचित नहीं है। **राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से विद्यालय के नाम के साथ आदर्श/उत्कृष्ट शब्द जोड़कर लिखने के दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये थे।**

उपर्युक्त के क्रम में राज्य के आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम के सम्बन्ध में उक्तानुसार आवश्यक संशोधन/सुधार की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संलग्न प्रमाण पत्र में सूचना इस कार्यालय की **ई–मेल आईडी rajadarshschool2017@gmail.com पर दिनांक 20.09.2019** तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त तिथि के पश्चात यदि आपके जिले के आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के नाम के सम्बन्ध में उपर्युक्त निर्देशों की अवहेलना करते हुए नाम में आदर्श/उत्कृष्ट शब्द का अंकन पाया जाता है तो इस स्थिति में दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेवार होंगे।इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

उदाहरणार्थ – **विद्यालय के नाम के अंकन हेतु नमूने का प्रारूपः–**

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तवाव जिला– जालौर
(राज्य सरकार की आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरिपुरा, जिला–बूंदी
(राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित)

(ओम प्रकाश कसेरा)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श विद्यालय/अ–1/21312/2018–19/ दिनांकः–13.09.19

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उपसचिव–प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
5. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
7. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा) को भेजकर लेख है कि संभाग क्षेत्राधिकार में उक्त कार्यवाही की निर्धारित समयावधि में पालना सुनिश्चित करावें।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माशि/प्राशि।
10. समस्त अति.जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान।
12. प्रभारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, जयपुर।
13. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर तथा शाला दर्पण प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि निर्धारित समयावधि तक शाला दर्पण पोर्टल पर आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के नाम में आदर्श/उत्कृष्ट शब्द विलोपित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित करावें।
14. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर